



POSH अधिनियम, 2013 के तहत अधिकारियों की नियुक्ति

प्रलिस के लिये:

[सर्वोच्च न्यायालय, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न \(रोकथाम, नषिध और नवारण\) अधिनियम, 2013, वशिखा दशिा-नरिदेश, स्थानीय शकियत समति\(LCC\)](#)

मेन्स के लिये:

भारत में महिला सुरक्षा से संबंधित पहल और उससे संबंधित मुद्दे ।

[स्रोत: द हृदि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारत के सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के [महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों \(MoWCD\)](#) को [कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न \(रोकथाम, नषिध और नवारण\) अधिनियम, 2013 \(POSH अधिनियम\)](#) के तहत ज़िला अधिकारियों को नियुक्त करने का नरिदेश दिया है ताकि कानून का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके ।

राज्यों को सर्वोच्च न्यायालय के नरिदेश:

- **सर्वोच्च न्यायालय के नरिदेश की आवश्यकता:**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने अनुभव किया कि महिलाओं को **उनकी पहुँच से परे** कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक कानून के तहत सुरक्षा मिली ।
 - न्यायालय ने पाया कि **कई राज्यों ने इन सभी वर्षों में POSH अधिनियम के तहत ज़िला अधिकारियों को सूचित** करने की ज़रूरत नहीं उठाई । इसलिये उसने सभी राज्यों को POSH अधिनियम के तहत तुरंत ज़िला अधिकारियों की नियुक्ति करने का नरिदेश दिया ।
- **POSH अधिनियम के तहत ज़िला अधिकारियों की भूमिका:**
 - POSH अधिनियम राज्यों को प्रत्येक ज़िले में एक अधिकारी नियुक्त करने का आदेश देता है जो अधिनियम के कार्यान्वयन में "महत्त्वपूर्ण" भूमिका निभाएगा ।
 - ज़िला अधिकारी 10 से कम शर्मिकों वाले छोटे प्रतष्ठानों में कार्यरत महिलाओं या ऐसे मामलों में जहाँ हमलावर स्वयं नियुक्ता है, से शकियतें प्राप्त करने के लिये स्थानीय शकियत समतियों (LCC) का गठन करेगा ।
 - एक ज़िला अधिकारी की ज़िम्मेदारियों में ग्रामीण, आदवासी और शहरी क्षेत्रों में अधिनियम के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना भी शामिल था ।
- **नोडल व्यक्तियों की नियुक्ति:**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने नरिदेश दिया कि प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD)** को अपने प्रमुख सचिव के माध्यम से **वभाग के भीतर एक 'नोडल व्यक्ता'** की पहचान करने पर वचिर करना चाहिये, जो PoSH अधिनियम के तहत समन्वय की नगिरानी और सहायता करेगा ।
 - यह व्यक्ता इस अधिनियम और इसके कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार के साथ समन्वय करने में भी सक्षम होगा ।
- **रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा:**
 - इसके अतरिकित प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार को 8 सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार को नमिनलखित नरिदेशों के अनुपालन की एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी:

PoSH अधिनियम, 2013:

- **परचिय:**
 - PoSH अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किये जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दे को संबोधित करने के लक्ष्य 2013 में

भारत सरकार द्वारा अधिनियमि एक कानून है।

- इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के लिये एक सुरक्षित एवं अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के साथ यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है।
 - PoSH अधिनियम, यौन उत्पीड़न को परभाषित करता है जिसमें अवांछित कृत्यों जैसे शारीरिक संपर्क तथा यौन प्रगति, यौन संबंधों की मांग अथवा अनुरोध, यौन टिपणियाँ करना, अश्लील साहित्य दिखाना एवं यौन संबंध के किसी भी अन्य प्रकार के अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण को शामिल किया गया है।
- **पृष्ठभूमि:**
- सर्वोच्च न्यायालय ने वशिखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997 मामले में एक ऐतिहासिक नरिण्य में 'वशिखा दशा-नरिदेश' दिये।
 - इन दशा-नरिदेशों ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, नषिध और नवारण) अधिनियम, 2013 का आधार बनाया।
 - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 (केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ) सहित संविधान के कई प्रावधानों से अपनी शक्ति प्राप्त की, साथ ही प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों एवं मानदंडों जैसे कसामान्य सफारियों से भी प्रेरणा ली। **महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उनमूलन पर कन्वेंशन (CEDAW)**, जिसि भारत ने वर्ष 1993 में अनुमोदित किया था।
- **प्रमुख प्रावधान:**
- **रोकथाम एवं नषिध:** अधिनियम नयिकताओं पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने तथा प्रतर्बिधित करने का कानूनी दायित्व रखता है।
 - **आंतरिक शिकायत समिति (ICC):** यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने तथा उनका समाधान करने के लिये नयिकताओं को 10 अथवा अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यस्थल पर एक ICC का गठन करना आवश्यक है।
 - शिकायत समितियों के पास साक्ष्य एकत्रित करने के लिये सविलि न्यायालयों की शक्तियाँ हैं।
 - **नयिकताओं के कर्तव्य:** नयिकताओं को जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिये, एक सुरक्षित कामकाजी माहौल प्रदान करना चाहिये साथ ही कार्यस्थल पर POSH अधिनियम के बारे में जानकारी प्रदर्शित करनी चाहिये।
 - **जुर्माना:** अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसमें जुर्माना एवं व्यापार लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है।

आगे की राह:

- **रोज़गार न्यायाधिकरण:** कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के बजाय रोज़गार न्यायाधिकरण की स्थापना का पालन किया जाना चाहिये।
- **स्वयं की प्रकरिया बनाने की शक्ति:** शिकायतों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिये यह प्रस्तावित करना आवश्यक है कन्यायाधिकरण सविलि न्यायालय के रूप में कार्य न करे जबकि प्रत्येक शिकायत के निपटान के लिये स्वयं प्रकरिया का चयन कर सकता है।
- **अधिनियम के दायरे का वसितार:** घरेलू कामगारों को अधिनियम के दायरे में शामिल किया जाना चाहिये।
 - **न्यायमूर्त विरमा समिति** के अनुसार किसी भी "अवांछनीय व्यवहार" को शिकायतकर्ता की व्यक्तिपरक धारणा से देखा जाना चाहिये, इस प्रकार यौन उत्पीड़न की परभाषा का दायरा व्यापक हो जाएगा।
- **नयिकता का दायित्व: न्यायमूर्त विरमा समिति** ने कहा कि नयिकता को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिये यदि:
 - उसने यौन उत्पीड़न को बढ़ावा दिया हो।
 - ऐसे माहौल की अनुमति दी हो जहाँ यौन दुराचार व्यापक और व्यवस्थित हुआ हो।
 - जहाँ नयिकता यौन उत्पीड़न पर कंपनी की नीति और शर्मकों द्वारा शिकायत दर्ज करने के तरीकों का खुलासा करने में वफिल रहता हो।
 - वर्मा पैनल ने यह भी कहा कि शिकायत दर्ज करने की तीन महीने की समय-सीमा खत्म की जानी चाहिये और किसी शिकायतकर्ता को उसकी सहमति के बिना स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिये।

महिला सुरक्षा से संबंधित अन्य पहले:

- **वन स्टॉप सेंटर योजना**
- **उज्ज्वला:** तस्करी की रोकथाम तथा तस्करी एवं वाणज्यिक यौन शोषण के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और पुनःएकीकरण के लिये एक व्यापक योजना
- **सुवधार गृह** (कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिये एक योजना)
- **नारी शक्ति पुरस्कार**

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न: स्वाधार और स्वयं सद्दध महिलाओं के वकिस के लयि भारत सरकार द्वारा शुरु की गई दो योजनाएँ हैं। उनके बीच अंतर के संबंध में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि : (2010)

1. स्वयं सद्दध उन लोगों के लयि है जो प्राकृतकि आपदाओं या आतंकवाद से बची महिलाओं, ज़ेलों से रहिा महिला कैदयिों, मानसकि रूप से वकित्त महिलाओं आदजैसी कठनि परसिथतियिों में हैं, जबकि स्वाधार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण के लयि है।
2. स्वयं सद्दध स्थानीय स्व-सरकारी नकियों या परतषिठति स्वैच्छकि संगठनों के माध्यम से कारयान्वति कयिा जाता है जबकि स्वाधार राज्यों में स्थापति आईसीडीएस इकाइयों के माध्यम से कारयान्वति कयिा जाता है।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sc-asks-states-to-appoint-officers-under-posh-act,-2013>

